<u>विधि परामर्शदाता के पद के लिए आमंत्रित आवेदन</u>

विज्ञापन सं. एए-11034/1/2021-सीएल एंड ईएस-पार्ट (1)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003

वेबसाइट: www.meity.gov.in

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अनुबंध आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अवधि आरंभ में तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

क्र.सं.	पदनाम	सं.
1.	वरिष्ठ विधि परामर्शदाता	02
2.	विधि परामर्शदाता	03

1. **रोज़गार के प्राथमिक कर्तव्यों / जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**

क. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके संशोधनों और अन्य साइबर संबंधी कानूनों से संबंधित विधेयकों/नियमों/विनियमों/नीतियों/दिशा-निर्देशों/परामर्शी निदेशों का विधायी प्रारूपण।
ख. नए/उभरते क्षेत्रों से संबंधित नए कानूनों/विनियमों से संबंधित विश्लेषण और सिफारिश करना।
ग. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और संबंधित क्षेत्रों सहित साइबर स्पेस में मौजूदा और साथ ही उभरते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों, अधिनियमों, सम्मेलनों, संधियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग, नीतियों, नियमों, कानूनी और नियामक ढांचे दिशानिर्देश आदि के विश्लेषण और व्याख्या सहित कानूनी/तकनीकी-कानूनी अनुसंधान और उपयुक्त सिफारिश करना।
घ. साइबर डोमेन से संबंधित कोई अन्य नीति/सौंपा गया अनुसंधान कार्य करना।
ङ. साइबर कानूनों से संबंधित लोक शिकायतों और आरटीआई से निपटने में सहायता प्रदान करना।
च. अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों और देश की उभरती जरूरतों के अनुरूप दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों, नीतियों और सलाह को अद्यतन करना ।
छ. साइबर कानूनों के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर राय देना / सलाह प्रदान करना।
ज. साइबर कानूनों के संबंध में अन्य मंत्रालयों/विभागों/अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना।
झ. मंत्रालय में चर्चाओं, कार्यशालाओं और अनुमोदन प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान के लिए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रस्तुतियां, नोट्स, बैठक के मिनट और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार करना ।
ञ. उपर्युक्त गतिविधियों से संबंधित कोई अन्य कार्य।

2. **आयु:**

इस विज्ञापन की तिथि पर 45 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

3. **पात्रता**:

   अनुबंध-I देखें।

4. **पदावधि और स्थान:**

   (क) नियुक्ति अनुबंध आधार पर प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए है जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) एमईआईटीवाई बिना किसी पूर्व सूचना के और इसके लिए कोई कारण दिए बिना किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकता है। हालांकि, सामान्य अवधि में यह परामर्शदाता को एक माह का नोटिस प्रदान करेगा। परामर्शदाता एमईआईटीवाई को एक महीने का नोटिस देने पर अनुबंध को समाप्त करने की भी मांग कर सकता है।

(ग) विवादों का निपटान: एमईआईटीवाई और परामर्शदाता अनुबंध से उत्पन्न किसी भी झगड़े, विवाद या दावे या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न किसी भी झगड़े, विवाद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे।

(घ) मध्यस्थता: अनुबंध या उल्लंघन, समाप्ति, या उसकी अमान्यता से उत्पन्न पक्षों के बीच कोई भी झगड़े, विवाद या दावा, जब तक कि ऊपर दिए गए अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा मध्यस्थता के लिए सचिव, एमईआईटीवाई को भेजा जाएगा। सचिव, एमईआईटीवाई द्वारा विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

(ड.) हितों का टकराव: परामर्शदाता से भारत सरकार के लागू सभी नियमों और विनियमों का पालन करने की उम्मीद की जाएगी। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यंत ईमानदारी, पद की गोपनीयता और ईमानदारी का प्रदर्शन करें। यदि परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या एमईआईटीवाई/भारत सरकार के हितों के विपरीत पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए बंद करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(च) यह पद इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली - 110003 में है।

5. अन्य शर्तें और निबंधन:

क. परामर्शदाता एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय एक कैलेंडर वर्ष में हकदार अवकाश से 15 दिनों से अधिक समय तक परामर्शदाता की अनुपस्थिति के मामले में सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ख. असाइनमेंट में शामिल होने या इसके पूरा होने पर कोई टीए / डीए स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, सलाहकारों को संबंधित संयुक्त सचिव के अनुमोदन के बाद आधिकारिक कार्य के संबंध में देश के भीतर उनकी यात्रा के लिए टीए/डीए की अनुमति दी जाएगी।

ग. आरक्षण नीति डीओपीटी के निर्धारित दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार लागू होगी।

घ. नियुक्त व्यक्ति सरकार की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य होगा।

ङ. कानूनी स्थिति: सलाहकारों को एक स्वतंत्र परामर्शदाता का कानूनी दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए एमईआईटीवाई के "स्टाफ सदस्य" या एमईआईटीवाई के "अधिकारी" के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अनुबंध के भीतर या उससे संबंधित कुछ भी एमईआईटीवाई और परामर्शदाता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी, या प्रिंसिपल और एजेंट के संबंध को स्थापित नहीं करेगा।

(च) आचरण के मानक: सामान्य तौर पर परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में एमईआईटीवाई के बाहर किसी भी प्राधिकरण से निर्देशों को स्वीकार नहीं करेगा। परामर्शदाता संविदा के निष्पादन के संबंध में या संविदा के अधीन अपने दायित्वों से संबंधित कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो एमईआईटीवाई के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और परामर्शदाता एमईआईटीवाई के हितों का पूर्ण सम्मान करते हुए संविदा के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। परामर्शदाता से अपेक्षित होगा कि उसने एमईआईटीवाई के किसी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को अनुबंध के प्रदर्शन से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ या उसके किसी एवार्ड को प्रदान नहीं किया है या करेगा। परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। अनुबंध के निष्पादन में परामर्शदाता आचरण के मानकों का अनुपालन करेगा। इसका अनुपालन करने में विफलता ,परामर्शदाता की सेवा समाप्ति के आधार का कारण हो सकता है।

(छ) स्वामित्व अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य मालिकाना अधिकार: अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के लिए एमईआईटीवाई द्वारा परामर्शदाता को दिए जाने वाले किसी भी उपकरण और आपूर्ति का स्वामित्व एमईआईटीवाई के पास होगा और अनुबंध के समापन पर या जब परामर्शदाता द्वारा अब इनकी आवश्यकता नहीं हो तो ऐसा कोई भी उपकरण एमईआईटीवाई को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे उपकरण, जब एमईआईटीवाई को वापस किए जाते हैं, तो सामान्य टूट-फूट को छोड़कर ये उसी स्थिति में होंगे, जिस स्थिति में परामर्शदाता को वितरित किए गए थे

और परामर्शदाता सामान्य टूट-फूट से परे उपकरण के किसी भी नुकसान या गिरावट के लिए एमईआईटीवाई को मुआवजा देने के लिए जिम्मेवार होगा।

(ज) ऐसे उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, ज्ञान या दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों जिसे परामर्शदाता ने अनुबंध के तहत एमईआईटीवाई के लिए विक्सित किया हो तथा द्वारा परामर्शदाता अनुबंध के निर्वहन के परिणामस्वरूप या उसके दौरान उत्पादित या तैयार या एकत्र की गयी हो और परामर्शदाता स्वीकार किया हो और सहमत हो कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्री एमईआईटीवाई के लिए हायर किए गए कार्यों के अंतर्गत आती है तो इनके सबंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सहित , लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं, सभी बौद्धिक संपदा और अन्य मालिकाना अधिकारों का हकदार एमईआईटीवाई होगा। पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अनुबंध के तहत परामर्शदाता द्वारा संकलित या प्राप्त सभी योजनाएं, रिपोर्ट, अनुमान, सिफारिशें, दस्तावेज और अन्य सभी डेटा एमईआईटीवाई की संपत्ति होंगे, जिन्हें एमईआईटीवाई द्वारा उचित समय पर और उचित स्थानों पर उपयोग या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, इन्हें गोपनीय माना जाएगा और अनुबंध के तहत काम पूरा होने पर केवल एमईआईटीवाई अधिकृत अधिकारियों को दिया जाएगा।

(झ) दस्तावेजों और सूचनाओं की गोपनीय प्रकृति: परामर्शदाता भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होगा। परामर्शदाता, एमईआईटीवाई की पूर्व मंजूरी के अलावा या अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन के अलावा, किसी पुस्तक या लेखों का संकलन प्रकाशित नहीं करेगा या रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में या तो अपने नाम पर या गुमनाम रूप से या छद्म नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किसी लेख का योगदान नहीं करेगा या कोई पत्र नहीं लिखेगा यदि ऐसी पुस्तक, लेख, प्रसारण या पत्र एमईआईटीवाई द्वारा उसे सौंपे गए विषय से संबंधित है।

च. एमईआईटीवाई के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग: परामर्शदाता वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजनों के लिए विज्ञापन नहीं देगा या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका एमईआईटीवाई के साथ संविदात्मक संबंध है, न ही परामर्शदाता अपने व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा परामर्शदाता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह से, एमईआईटीवाई के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर, या एमईआईटीवाई के नाम के किसी भी संक्षिप्त नाम का उपयोग करेगा।

(छ) व्यक्तिगत परामर्शदाता की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, जो अनुबंध की शर्तों के तहत एमईआईटीवाई की ओर से सेवाओं के प्रदर्शन के लिए परामर्शदाता एमईआईटीवाई खर्च पर यात्रा करने या एमईआईटीवाई या भारत सरकार के किसी भी कार्यालय या परिसर में अनुबंध के तहत कोई सेवा करने के कारण हुआ हो तो परामर्शदाता या परामर्शदाता के आश्रित, जैसा कि उपयुक्त हो, किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे

6. चयन प्रक्रिया:

(क) चयन मोड में कार्य करते हुए नियुक्तियां इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जाएंगी। जहां मंत्रालय उत्कृष्ट व्यक्तियों के संबंध में संतुष्ट है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट देने पर भी विचार कर सकता है।

(ख) मंत्रालय बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. आवेदन प्रक्रिया:

समाचार पत्र में विज्ञापन जारी होने के *21* **दिनों के भीतर** *आवेदक अपने* हस्ताक्षरित बायोडाटा के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन की हुई कॉपी को gccyberlaw@meity.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

8. इस विज्ञापन के तहत आने वाले सभी आवेदकों के लिए लागू सामान्य शर्तें:

(क) मंत्रालय बिना कोई कारण बताए विज्ञापित सभी या कुछ या किसी भी पद को भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह यथोचित समझे।

(ख) ये पद मंत्रालय की परियोजना के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति के होते हैं और नियुक्त किए गए व्यक्तियों को मंत्रालय में स्थायी नियुक्ति हेतु या मौजूदा किसी भी रिक्तियों पर कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा या जिसे भविष्य में मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापित किया जाएगा।

(ग) अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार होगी। आवेदनों की स्क्रीनिंग योग्यता, आयु शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक अनुभव पर आधारित होगी।

*****

अनुबंध - I

रोजगार विवरण: वरिष्ठ विधि परामर्शदाता

पद	वरिष्ठ विधि परामर्शदाता
अपेक्षित योग्यता	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से **एलएलबी**
अनुभव	(i) विधिक नीति / विधिक अभ्यास में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव <u>और</u> (ii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता <u>और</u> कम से कम एक कानूनी शोध पत्र एक सहकर्मी-समीक्षा का कानून पत्रिका में प्रकाशन <u>या</u> विधिक पत्रिकाओं, मीडिया, नीति अनुसंधान संगठनों और उद्योग संघों द्वारा प्रकाशित कम से कम तीन विधिक नीति टिप्पणियां / ब्रीफ / समीक्षाएं <u>या</u> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से साइबर कानून या सूचना प्रौद्योगिकी में कोई डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र <u>या</u> विधिक नीति / विधिक अभ्यास में 10 से अधिक वर्षों का कुल अनुभव
पारिश्रमिक	2.5 लाख रुप्रति माह (समेकित)

रोजगार विवरण: विधि परामर्शदाता

पद	विधि परामर्शदाता
अपेक्षित योग्यता	मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से **एलएलबी**।
अनुभव	(i) विधिक नीति/विधिक अभ्यास में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव <u>और</u> (ii) कम से कम एक कानूनी शोध पत्र एक सहकर्मी-समीक्षा का कानून पत्रिका में प्रकाशन <u>या</u> विधिक पत्रिकाओं, मीडिया, नीति अनुसंधान संगठनों और उद्योग संघों द्वारा प्रकाशित कम से कम दो विधिक नीति टिप्पणियां / ब्रीफ / समीक्षाएं <u>या</u> विधिक नीति/विधिक अभ्यास में 8से अधिक वर्षों का कुल अनुभव <u>और</u> (iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता
पारिश्रमिक	2 लाख रुप्रति माह (समेकित)

अनुबंध –II

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">परामर्शदाता पद के लिए आवेदन :</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">पूरा नाम (ब्लॉक अक्षर)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">जन्म की तारीख</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">पत्राचार का पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">स्थायी पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">ईमेल पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">टेलीफोन/मोबाइल नंबर:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="6">शैक्षिक योग्यता (प्रासंगिक डिग्री पाठ्यक्रम की प्रति(प्रतियाँ):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td>पाठ्यक्रम</td><td>विषय</td><td>विश्वविद्यालय/ संस्थान</td><td>उत्तीर्ण होने का वर्ष</td><td colspan="2">श्रेणी/वर्ग</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">10.</td><td colspan="6">कार्य अनुभव</td></tr>
<tr><td rowspan="2">संगठन/संस्थान/ धारित पद।</td><td colspan="2">अवधि</td><td colspan="3" rowspan="2">कार्य की प्रकृति/अनुभव संबंधी क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>से</td><td>तक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="6">अन्य अनुभव:</td></tr>
</table>

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैंने इस दस्तावेज को पढ़ा है और परामर्शदाता के रूप में प्रतिबद्धता हेतु सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

हस्ताक्षर:

स्थान: ______________